भामाशाह सुविधा शिविर

राज्य में भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजकीय सेवाओं के लाभों के प्रभावी एवं पारदर्शी प्रकिया से वितरण सुनिश्चित करने हेतु आयोजना विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 11.07.2016 के अनुसार दिनांक 25.07.2016 से 05.08.2016 के मध्य राज्य के सभी ब्लॉक/नगरनिकाय स्तरों पर 2–3 दिवसीय "भामाशाह सुविधा शिविर" आयोजित होंगे।

भामाशाह योजना प्लेटफॉर्म से लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के व्यापक प्रचार–प्रसार तथा आमजन को इस संबंध में आने वाली शंकाओं/समस्याओं के समाधान हेतु ये शिविर आयोजित किए जाऐंगे।

भामाशाह शिविरों में उपखण्ड अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के साथ–साथ बैंकिंग सेवाओं के प्रतिनिधि, ई–मित्र संचालक आदि उपस्थित रहकर आमजन को योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ आमजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, नरेगा, छात्रवृति आदि योजनाओं से संबंधित लाभ प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों का मौके पर ही निराकरण कराऐंगे।इन शिविरों में आम जनको योजना के लाभ, पॉसमशीन से राशन वितरण, माइक्रो एटीएम से राशि आहरण तथा बायोमैट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया समझायी जाएगी।